मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ./11-11/2010/1-10 भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
भोपाल.

विषय.—विभागीय जांच आयुक्त को शासन के विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय जांच के प्रकरण सौंपा जाना.
संदर्भ.—सा.प्र.वि. का ज्ञाप क्रमांक एफ-4/2/1983/1/6, दिनांक 25-1-1984.

कृपया संदर्भित ज्ञापन का अवलोकन करें जिसमें विभागीय जांच आयुक्त को प्रकरण सौंपे जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है. उपरोक्त ज्ञापन की कंडिका 1.03 के बिन्दु क्रमांक (2) के अनुसार विभागीय जांच आयुक्त को केवल ऐसे ही प्रकरणों में जांच अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है जिनमें पहले से कोई अन्य अधिकारी जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त न किया गया हो. शासन के ध्यान में कुछ ऐसे मामले आये हैं जिनमें पूर्व में नियुक्त विभागीय जांच अधिकारी एवं अपचारी अधिकारी पदोन्नति अथवा स्थानांतरण के फलस्वरूप समकक्ष पदों पर पदस्थ होने से या अन्य कारणों से पूर्व में नियुक्त विभागीय जांच अधिकारी से जांच नहीं करायी जा सकती है.

2. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा विचारोप्रांत निर्णय लिया गया है कि संदर्भित ज्ञापन की कंडिका 1.03 के बिन्दु क्रमांक (2) को संशोधित किया जाये तद्नुसार बिन्दु क्रमांक (2) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

1.03 (2) **"पहले से कोई अन्य जांच अधिकारी नियुक्त हो तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त करने के पश्चात्."**

3. उपरोक्त संशोधन के फलस्वरूप पैरा-1 में उल्लेखित मामलों में पूर्व में नियुक्त विभागीय जांच अधिकारी के आदेश निरस्त कर प्रकरण जांच हेतु विभागीय जांच आयुक्त को सौंपे जा सकेंगे.

हस्ता./-

(एस. के. वर्मा)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्रमांक एफ./11-11/2010/1-10 भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2010

प्रतिलिपि :—

1. सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष-3 की ओर उनकी टीप यू.ओ.क्र. 663/आर-1443/1/3/10, दिनांक 5-8-2010 के संदर्भ में,

2. आयुक्त, विभागीय जांच कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.

हस्ता./-

अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.